



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07112025-267440
CG-DL-E-07112025-267440

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 704]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 3, 2025/ कार्तिक 12, 1947

No. 704]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 3, 2025/ KARTIKA 12, 1947

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 2025

फ़ा. सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई.—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 43 की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एतद द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 6 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. सं. 3648(अ) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

तालिका में,-

1. उत्तरी क्षेत्र से सम्बंधित 'क' में,

(1) दिल्ली के नीचे,

(क) कॉलम (1) में, क्रम संख्या 10 और कॉलम (2) और (3) में उससे सम्बंधित प्रविष्टियाँ लुप्त कर दी जाएँ;
(ख) कॉलम (1) में, क्रम संख्या 21 और कॉलम (2) और (3) में उससे सम्बंधित प्रविष्टियाँ लुप्त कर दी जाएँ;

(2) राजस्थान के नीचे, कॉलम (1) में, क्रम संख्या 7 और कॉलम (2) और (3) में उससे सम्बंधित प्रविष्टियाँ लुप्त कर दी जाएँ;

(3) उत्तर प्रदेश के नीचे, क्रम संख्या 15 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टियों को सम्बंधित कॉलमों में अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"16.	क्यूसी लैब, श्रीराम फूड एंड फार्मा रिसर्च सेंटर पंजीकरण सं. 89/एन/एफएसएसएआई/2025 एओ-150, द्वितीय तल, अमृत स्टील कंपाउंड, यूपीएसआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र, जीटी रोड, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	जैविक रासायनिक";

2. पश्चिमी क्षेत्र से सम्बंधित 'ख' में, **महाराष्ट्र** के नीचे, क्रम संख्या 40 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टियों को सम्बंधित कॉलमों में अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"41.	यूरोफिन्स एनालिटिकल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पंजीकरण संख्या 76/डब्ल्यू/एफएसएसएआई/2025 द्वितीय तल, एलोरा ओलेराइज, प्लॉट संख्या A-786, खैराने MIDC, कोपरखैराने, नवी मुंबई, महाराष्ट्र	जैविक रासायनिक
42.	क्यूएसएस इन्स्पेक्शन एंड टेस्टिंग प्राइवेट लिमिटेड पंजीकरण संख्या 77/डब्ल्यू/एफएसएसएआई/2025 प्लॉट संख्या 70-71, दूसरी मंजिल, सेक्टर 19ए, वाशी, नवी मुंबई, ठाणे, महाराष्ट्र	जैविक रासायनिक
43.	कीमो टेस्ट लेबोरेटरी पंजीकरण संख्या 78/डब्ल्यू/एफएसएसएआई/2025 सी-258, टीटीसी औद्योगिक क्षेत्र, पवने एमआईडीसी, मुंबई, ठाणे, महाराष्ट्र	जैविक रासायनिक";

3. दक्षिणी क्षेत्र से सम्बंधित 'ग' में,

(1) **आंध्र प्रदेश** के नीचे, कॉलम (1) में, क्रम संख्या 7 और कॉलम (2) और (3) में उससे सम्बंधित प्रविष्टियाँ लुप्त कर दी जाएँ;

(2) **कर्नाटक** के नीचे, क्रम संख्या 3 के कॉलम (1) और उससे सम्बंधित कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"3.	एनवायर्नमेंटल लैबोरेट्रीज (मिनेरल इंजीनियरिंग सर्विसेज एलएलपी की यूनिट) पंजीकरण संख्या 35/एस/एफएसएसएआई/2016 #948, दूसरा क्रॉस, सेंट थॉमस टाउन पोस्ट, कामाना हॉल्ली मेन रोड, बेंगलुरु, बेंगलुरु अर्बन, कर्नाटक, भारत	जैविक रासायनिक";

(3) **केरल** के नीचे,

(क) कॉलम (1) में, क्रम संख्या 5 और कॉलम (2) और (3) में उससे सम्बंधित प्रविष्टियाँ लुप्त कर दी जाएँ;

(ख) क्रम संख्या 16 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टियों को सम्बंधित कॉलमों में अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"17.	ईसीओ ग्रीन लैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकरण संख्या 93/एस/एफएसएसएआई/2025 चेरथला तालुक, 436-एच,आई,जे,के,एल,एम, वार्ड नंबर 16, पेरुमपरमपिल पनवेल कोच्चि कन्याकुमारी हाईवे, हैप्पी टायर वर्क्स, अरूर, केरल	जैविक रासायनिक

18.	परीक्षण एवं विश्लेषण प्रयोगशाला, पर्यावरण प्रौद्योगिकी प्रभाग, सीएसआईआर-राष्ट्रीय अंतःविषय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएसआईआर-एनआईआईएसटी) पंजीकरण संख्या 94/एस/एफएसएसएआई/2025 औद्योगिक एस्टेट पी.ओ., पप्पनमकोड, तिरुवनंतपुरम, केरल	रासायनिक";
-----	--	------------

(4) **तमिलनाडु** के नीचे, कॉलम (1) में, क्रम संख्या 13 और कॉलम (2) और (3) में उससे सम्बंधित प्रविष्टियाँ लुप्त कर दी जाएँ;

4. पूर्वी क्षेत्र से सम्बंधित 'घ' में,

(1) **असम** के नीचे, क्रम संख्या 2 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टियों को सम्बंधित कॉलमों में अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"3.	टीएलएबीएस, चाय अनुसंधान संघ, टोकलाई चाय अनुसंधान संस्थान, पंजीकरण संख्या 30/ई/एफएसएसएआई/2025 टोकलाई प्रायोगिक केंद्र, जोरहाट, असम	रासायनिक";

(2) **बिहार** के नीचे, क्रम संख्या 2 के कॉलम (1) और उससे सम्बंधित कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"2.	राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला कोलकाता (विस्तार केंद्र रक्सौल) पंजीकरण संख्या 25/ई/एफएसएसएआई/2022 चंपारण (पूर्व), हरदिया कोठी, रक्सौल, बिहार, भारत	रासायनिक";

(3) **पश्चिम बंगाल** के नीचे, क्रम संख्या 14 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टियों को सम्बंधित कॉलमों में अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"15.	यूरेका एनालिटिकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकरण संख्या 31/ई/एफएसएसएआई/2025 प्रथम तल, सेवन हिल्स, ईएन-34, ईएन ब्लॉक, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	रासायनिक";

राजित पुनहानी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./438/2025-26]

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. संख्या 3648 (अ), दिनांक 6 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित हुई थी और अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई, दिनांक 4 जून, 2025 के माध्यम से की गई थी।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2025

F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 43 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following amendment in the notification number S.O. number 3648 (E) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th December, 2016, namely: -

In the table,

1. In 'A' related to NORTHERN REGION,

(1) under **Delhi**,

(a) at serial number 10, in column (1) and respective entries in column (2) & (3) of the row shall be deleted;

(b) at serial number 21, in column (1) and respective entries in column (2) & (3) of the row shall be deleted;

(2) under **Rajasthan**, at serial number 7, in column (1) and respective entries in column (2) & (3) of the row shall be deleted;

(3) under **Uttar Pradesh**, after serial number 15, the following entries shall be inserted in respective columns, namely: -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"16.	QC Lab, Shriram Food & Pharma Research Centre Reg. No. 89/N/FSSAI/2025 AO-150, Second Floor, Amrit Steel Compound, UPSIDC Industrial Area, Gt Road, Ghaziabad, Uttar Pradesh	Biological Chemical";

2. In 'B' related to WESTERN REGION, under **Maharashtra**, after serial number 40, the following entries shall be inserted in respective columns, namely: -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"41.	Eurofins Analytical Services India Pvt. Ltd. Reg. No. 76/W/FSSAI/2025 2nd Floor, Ellora Olearise, Plot No. A-786, Khairane MIDC, Koparkhairane, Navi Mumbai, Maharashtra	Biological Chemical
42.	QSS Inspection and Testing Private Limited Reg.No.77/W/FSSAI/2025 Plot No. 70-71, 2nd Floor, Sector 19A, Vashi, Navi Mumbai, Thane, Maharashtra	Biological Chemical
43.	Chemo Test Laboratory Reg.No.78/W/FSSAI/2025 C-258, TTC Industrial Area, Pawane MIDC, Mumbai, Thane, Maharashtra	Biological Chemical";

3. In 'C' related to SOUTHERN REGION,

(1) under **Andhra Pradesh**, at serial number 7, in column (1) and respective entries in column (2) & (3) of the row shall be deleted;

(2) under **Karnataka**, for serial number 3, in column (1) and respective entries in column (2) & (3), the following shall be substituted, namely: -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“3.	Environmental Laboratory (Unit of Mineral Engineering Services LLP), Reg.No.35/S/FSSAI/2016 #948, 2 nd Cross, St. Thomas Town Post, Kammanahalli Main Road, Bengaluru, Bengaluru Urban, Karnataka, India	Biological Chemical”;

(3) under **Kerala**,

(a) at serial number 5, in column (1) and respective entries in column (2) & (3) of the row shall be deleted;

(b) after serial number 16, the following entries shall be inserted in respective columns, namely: -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“17.	ECO Green Labs India Private Limited, Reg.No.93/S/FSSAI/2025 Cherthala Taluk, 436-H,I,J,K,L,M, Ward No. 16, Perumparampil Panvel Kochi Kanyakumari Highway, Happy Tyre Works, Aroor, Kerala	Biological Chemical
18.	Testing and Analysis Laboratory, Environmental Technology Division, CSIR- National Institute for Interdisciplinary Science and Technology (CSIR-NIIST) Reg.No.94/S/FSSAI/2025 Industrial Estate P.O., Pappanamcode, Thiruvananthapuram, Kerala	Chemical”;

(4) under **Tamil Nadu**, at serial number 13, in column (1) and respective entries in column (2) & (3) of the row shall be deleted;

4. In ‘D’ related to EASTERN REGION,

(1) under **Assam**, after serial number 2, the following entries shall be inserted in respective columns, namely: -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“3.	TLABS, Tea Research Association, Tocklai Tea Research Institute, Reg. No. 30/E/FSSAI/2025 Tocklai Experimental Station, Jorhat, Assam	Chemical”;

(2) under **Bihar**, for serial number 2, in column (1) and respective entries in column (2) & (3), the following shall be substituted, namely: -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“2.	National Food Laboratory Kolkata (Extension Center Raxaul) Reg. No. 25/E/FSSAI/2022 Champaran (East), Hardia Kothi, Raxaul, Bihar, India	Chemical”;

(3) under **West Bengal**, after serial number 14, the following entries shall be inserted in respective columns, namely: -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“15.	Eureka Analytical Services Private Limited, Reg. No. 31/E/FSSAI/2025 1st Floor, Seven Hills, EN-34, EN Block, Kolkata, West Bengal	Chemical”

RAJIT PUNHANI, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exy./438/2025-26]

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide S.O. number 3648 (E), dated the 6th December, 2016 and last amended *vide* notification number F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI dated 4th June, 2025 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4